रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092025-265954 CG-DL-E-04092025-265954

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947

No. 556]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2025

सा.का.िन. 600(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 और धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अविध समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपित्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (.... ...संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा। (2) ये नियम अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

5891 GI/2025 (1)

- 2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे आगे उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 81 में, सारणी में:
 - i. क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	मोटर वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीकरण के			
	लिए वाहन का परीक्षण करना			
			62(2)	
	(क) मोटरसाइकिल	चार सौ रुपये	02(2)	
	(ख) तीन पहिया या हल्के मोटर वाहन या क्वाड्रिसाइकिल	छह सौ रुपये		
	(ग) मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन	एक हजार रुपये		
	(घ) भारी माल या यात्री मोटर वाहन	एक हजार रुपये		

क्रम संख्या 10क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:ii.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10क.	15 वर्ष से पुराने, लेकिन 20 वर्ष से अधिक पुराने नहीं मोटर वाहनों			
	के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने या नवीकरण के लिए वाहन			
	का परीक्षण करना।		62(2)	
	(क) मोटरसाइकिल	पाँच सौ रुपये		
	(ख) तीन पहिया या हल्के मोटर वाहन या क्वाड्रिसाइकिल	एक हजार रुपये		
	(ग) मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन	एक हजार तीन सौ रुपये		
	(घ) भारी माल या यात्री मोटर वाहन	एक हजार पांच सौ रुपये		

क्रम संख्या 10क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10ख.	20 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र			
	प्रदान करने या नवीकरण के लिए वाहन का परीक्षण करना:			
	(क) मोटरसाइकिल	एक हजार रुपये	62(2)	
	(ख) तीन पहिया या हल्के मोटर वाहन या क्वाड्रिसाइकिल	दो हज़ार रुपये		
	(ग) मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन	दो हजार छह सौ रुपये		
	(घ) भारी माल या यात्री मोटर वाहन	तीन हजार रुपये		

क्रम संख्या (11क) में, शब्द "(परिवहन)" का विलोपन किया जाएगा और शब्द "15 वर्ष से अधिक पुराने" के स्थान पर शब्द "10 वर्ष से अधिक पुराने" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। iv.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

v. क्रम संख्या (11क) में, प्रविष्टियां (क) से (ड.) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

,		
(4) - 2 - 2 2		
()		
(0) 41 (311 × 11		
(1) दो सौ रुपये		
(2) तीन हजार पांच सौ रुपये		
(3) सात हजार रुपये		
	62(2)	
(2) सात हजार पांच सौ रुपये		
(3) पंद्रह हजार रुपये		
(4) बास हजार रुपय		
(1) एक ट्रजार रूपये		
		ļ
(4) पच्चास हजार रुपय		
	 (2) तीन हजार पांच सौ रुपये (3) सात हजार रुपये (1) दो सौ रुपये (2) सात हजार पांच सौ रुपये 	(1) दो सौ रुपये (2) एक हजार रुपये (3) दो हजार रुपये (1) दो सौ रुपये (2) तीन हजार पांच सौ रुपये (3) सात हजार रुपये (1) दो सौ रुपये (2) सात हजार पांच सौ रुपये (3) पंद्रह हजार रुपये (1) एक हजार रुपये (1) एक हजार रुपये (2) पांच हजार रुपये (3) दस हजार रुपये (4) बीस हजार रुपये (1) एक हजार रुपये (1) एक हजार रुपये (3) वस हजार रुपये (1) एक हजार रुपये (3) बारह हजार पांच सौ रुपये

[फा. सं. आरटी-23013/8/2025-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन.(अ) तारीख द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2025

G.S.R. 600(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 64 and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- **1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force from the date of publication of the notification.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 81, in the TABLE:
 - i. for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Conducting test of a vehicle for grant or renewal of certificate of fitness for motor vehicles			
	(a) Motorcycle	Four hundred rupees		
	(b) Three wheeled or light motor vehicle or quadricycle	Six hundred rupees	62(2)	
	(c) Medium goods or passenger motor vehicle	One thousand rupees		
	(d) Heavy goods or passenger motor vehicle	One thousand rupees		

ii. for serial number 10A and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Conducting test of a vehicle for grant or renewal of certificate of fitness for motor vehicles older than 15 years but not exceeding 20 years			
	(a) Motorcycle	Five hundred rupees	(2(2)	
	(b) Three wheeled or light motor vehicle or quadricycle	One thousand rupees	62(2)	
		One thousand three hundred rupees		
		One thousand five hundred rupees		

iii. after serial number 10A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10B.	Conducting test of a vehicle for grant or renewal of certificate of fitness for motor vehicles older than 20 years:			
	(a) Motorcycle	One thousand rupees		
	(b) Three wheeled or light motor vehicle or quadricycle	Two thousand rupees	62(2)	
	(c) Medium goods or passenger motor vehicle	Two thousand six hundred rupees		
	(d) Heavy goods or passenger motor vehicle	Three thousand rupees		

iv. In serial number (11A), the words "(transport)" shall be omitted, and for the words "older than 15 years", the words "older than 10 years" shall be substituted

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

v. In serial number (11A), the entries (a) to (e) shall be substituted as under: -

(a) Motorcycle			
(1) older than 10 years but not exceeding 15 years (2) older than 15 years but not exceeding 20 years (3) older than 20 years	(1) Two hundred rupees		
(3) older than 20 years	(2) One thousand rupees		
	(3) Two thousand rupees		
(b)Three wheeled or quadricycle			
(1) older than 10 years but not exceeding 15 years (2) older than 15 years but not exceeding 20 years	(1) Two hundred rupees	62(2)	
(3) older than 20 years	(2) Three thousand five hundred rupees		
	(3) Seven thousand rupees	-	
(c) light motor vehicle			
(1) older than 10 years but not exceeding 15 years (2) older than 15 years but not exceeding 20 years	(1) Two hundred rupees		
(3) older than 20 years	(2) Seven thousand five hundred rupees		
	(3) Fifteen thousand rupees		
(d) Medium goods or passenger motor vehicle			
(1) older than 10 years but not exceeding 13 years (2) older than 13 years but not exceeding 15 years	(1) One thousand rupees		
(3) older than 15 years but not exceeding 20 years(4) older than 20 years	(2) Five thousand rupees		
	(3) Ten thousand rupees		
	(4) Twenty thousand rupees		
(e) Heavy goods or passenger motor vehicle			
(1) older than 10 years but not exceeding 13 years			
(2) older than 13 years but not exceeding 15 years(3) older than 15 years but not exceeding 20 years(4) older than 20 years	(1) One thousand rupees		
	(2) Five thousand rupees		
	(3) Twelve thousand five hundred rupees		
	(4) Twenty-five thousand rupees		

[F. No. RT-23013/8/2025-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.(E), dated and lastly amended vide notification number G.S.R.(E), dated